



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218886
CG-DL-E-24032020-218886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1058]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941

No. 1058]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ.1179(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. चित्रा सरकार, डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, पैथोलॉजी, एम्स, दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा.सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 1179(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Chitra Sarkar, Prof. of Pathology, Dean (Research), AIIMS New Delhi, as President of the All India Institute of Medical Sciences, **Guwahati**.

[F.No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.